

**भारत सरकार**  
**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**

**खोज सह चयन प्रक्रिया के माध्यम से तत्काल आमेलन के आधार पर**  
**प्रबंध निदेशक, एच.एस.सी.सी. (इंडिया) लिमिटेड के पद पर नियुक्ति**

सी.पी.एस.ई. का नाम	एच.एस.सी.सी. (इंडिया) लिमिटेड
पद का नाम	प्रबंध निदेशक
रिक्ति की तिथि	01.08.2021
सी.पी.एस.ई. की अनुसूची	अनुसूची 'ग'
पद का वेतनमान	1,60,000 – 2,90,000 रु. (आई.डी.ए.)

**(I) कंपनी के बारे में**

एच.एस.सी.सी. (इंडिया) लिमिटेड, जिसे पहले हॉस्पिटल सर्विसेज़ कंसल्टेंसी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, एक अनुसूची 'ग' मिनी रत्न सी.पी.एस.ई. है तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के तहत अनुसूची 'क' नवरत्न सी.पी.एस.ई. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

दिनांक 06 नवंबर, 2018 को एनबीसीसी ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एम.ओ.एच.एफ.डब्ल्यू.) के साथ एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की सहायक कंपनी के रूप में एच.एस.सी.सी. (इंडिया) लिमिटेड के 100% शेयरों के शेयर क्रय करार पर हस्ताक्षर किए।

एच.एस.सी.सी. इंडिया लिमिटेड को भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित किया गया था, जिसका उद्देश्य आवश्यकताओं के अनुरूप अवसरों की तलाश करके स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्रों में नवोन्मेषी, उच्च गुणवत्ता वाली ज्ञान आधारित सेवाएं प्रदान करने और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में समसामयिक व्यावसायिक मानक के साथ एक परामर्श संगठन के रूप में विकसित करके एक मार्केट लीडर बनना है। इसका पंजीकृत कार्यालय दिल्ली में स्थित है।

दिनांक 31.03.2022 को कंपनी की प्राधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी क्रमशः 5 करोड़ रुपये और 1.8 करोड़ रुपये हैं।

कंपनी में दिनांक 31.03.2022 तक 127 नियमित कार्मिक (कार्यपालक 104, गैर-कार्यपालक 23) नियोजित हैं।

**(II) कार्य का विवरण एवं दायित्व**

प्रबंध निदेशक, निगम के मुख्य कार्यपालक होते हैं और इसके निदेशक मंडल, होल्टिंग कंपनी एवं सरकार के प्रति जवाबदेह होते हैं। वे निगमित उद्देश्यों और निष्पादन मापदण्डों को प्राप्त करने हेतु निगम की प्रभावी कार्यपद्धति के लिए उत्तरदायी होते हैं।

वे एच.एस.सी.सी. निदेशक मंडल के अध्यक्ष के माध्यम से रिपोर्ट करेंगे।

### (III) पात्रता

1. आयु : पद रिक्त होने की तिथि तक (डी.ओ.वी.)

अधिवर्षिता की आयु 60 वर्ष			
आंतरिक		अन्य	
न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम
40	अधिवर्षिता की तिथि के संबंध में रिक्ति की तिथि पर 2 वर्ष की अवशिष्ट (रेसिड्यूअल) सेवा	40	अधिवर्षिता की तिथि के संबंध में रिक्ति की तिथि पर 3 वर्ष की अवशिष्ट (रेसिड्यूअल) सेवा
<b>40-55 वर्ष की आयु को तरजीह दी जाएगी।</b>			

### 2. सेवायोजन की स्थिति

आवेदक को आवेदन की तिथि के साथ ही साक्षात्कार की तिथि पर नियमित क्षमता में निम्नलिखित में से किसी एक में नियोजित होना चाहिए **न कि** संविदात्मक / तदर्थ क्षमता में: -

(क) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सी.पी.एस.ई.) (सी.पी.एस.ई. के बोर्ड में पूर्णकालिक प्रकार्यात्मक निदेशक सहित) ;

(ख) संघ की सशस्त्र सेनाओं और अखिल भारतीय सेवाओं सहित केंद्र सरकार;

(ग) राज्य का सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (एस.पी.एस.ई.) जिसका वार्षिक टर्नओवर **500 करोड़ रुपये\* या उससे अधिक** हो;

(घ) निजी क्षेत्र की कंपनी जिसका वार्षिक टर्नओवर **500 करोड़ रुपये\* या उससे अधिक** हो।

(\* जिस कैलेंडर वर्ष में पद विज्ञापित किया गया है, उसके पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के औसत लेखापरीक्षित वार्षिक टर्नओवर पर, अनुमोदित सीमाओं को लागू करने के लिए विचार किया जाएगा)

### 3. अर्हता

आवेदक को अग्रणी संस्थान से एम.बी.ए. / पी.जी.डी.एम. के साथ इंजीनियरी स्नातक / चार्टर्ड एकाउंटेंट / कॉस्ट एकाउंटेंट / स्नातकोत्तर / स्नातक होना चाहिए।

सिविल इंजीनियरी में उपाधि प्राप्त व्यक्तियों को अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा।

### 4. अनुभव

आवेदक के पास विगत 10 वर्षों के दौरान आवासीय / वाणिज्यिक / अस्पताल परियोजनाओं में निर्माण / परामर्श / परियोजना प्रबंधन का कम से कम 5 वर्षों का संचयी अनुभव होना चाहिए।

### 5. वेतनमान

(क) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम :

पात्र वेतनमान

कार्यपालक, जिन्होंने निम्नलिखित वेतनमान में पद धारित किया है :

- (i) 6250-7475 रु. (आई.डी.ए.) 01/01/1992 के पूर्व
- (ii) 8520-10050 रु. (आई.डी.ए.) 01/01/1992 के पश्चात
- (iii) 18,500-23,900 रु. (आई.डी.ए.) 01/01/1997 के पश्चात
- (iv) 43,200-66,000 रु. (आई.डी.ए.) 01/01/2007 के पश्चात
- (v) 1,00,000-2,60,000 रु. (आई.डी.ए.) 01/01/2017 के पश्चात
- (vi) 14,300-18,300 रु. (सी.डी.ए.) संशोधन से पूर्व
- (vii) 37,400-67,000 रु. + ग्रेड वेतन 8700 (सी.डी.ए.) 01.01.2006 के पश्चात
- (viii) 1,23,100-2,15,900 रु. (स्तर 13) सी.डी.ए. 01.01.2016 के पश्चात

पात्र वेतनमान में आवश्यक सेवा की न्यूनतम अवधि, रिक्ति की तिथि के अनुसार आंतरिक अभ्यर्थियों के लिए एक वर्ष और अन्य के लिए दो वर्ष होगी।

**(ख)**

(i) **केंद्र सरकार / अखिल भारतीय सेवाओं के आवेदक**, जिन्होंने भारत सरकार में निदेशक के स्तर का पद धारण किया हो या आवेदन की तिथि पर समतुल्य वेतनमान प्राप्त कर रहे हों, वे तत्काल आमेलन आधार पर विचार किए जाने के पात्र होंगे बशर्ते वे निर्धारित 'अर्हता' और 'अनुभव' मानदंड को पूर्ण करते हों।

(ii) **संघ की सशस्त्र सेनाओं के आवेदक**, जिन्होंने आवेदन की तिथि पर सेना में ब्रिगेडियर के स्तर का पद धारण किया हो या नौसेना / वायु सेना में समकक्ष रैंक का पद धारण किया हो, वे तत्काल आमेलन आधार पर विचार किए जाने के पात्र होंगे बशर्ते वे निर्धारित 'अर्हता' और 'अनुभव' मानदंड को पूर्ण करते हों।

(ग) **राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों / निजी क्षेत्र के आवेदकों** को आवेदन की तिथि पर बोर्ड स्तर के पद पर या कम से कम बोर्ड स्तर के ठीक एक स्तर नीचे के पद पर कार्यरत होना चाहिए।

#### **6. केंद्र सरकार के अधिकारियों के लिए तत्काल आमेलन की शर्त**

संघ की सशस्त्र सेनाओं और अखिल भारतीय सेवाओं सहित केंद्र सरकार के अधिकारी केवल तत्काल आमेलन के आधार पर विचार हेतु पात्र होंगे।

#### **IV. नियुक्ति की अवधि**

नियुक्ति कार्य ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अधिवर्षिता की तिथि अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, होगी।

#### **V. आवेदनों को जमा करना**

**आवेदकों को अपने आवेदन, प्रारूप के अनुसार केवल ऑनलाइन जमा करना चाहिए।**

1. आवेदकों को निम्नानुसार अपना आवेदन उचित माध्यम द्वारा जमा करना चाहिए :-

- (क) संघ की सशस्त्र सेनाओं और अखिल भारतीय सेवाओं सहित सरकारी अधिकारी: संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी के माध्यम से।
- (ख) सी.पी.एस.ई. के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / प्रबंध निदेशक / प्रकार्यात्मक निदेशक: संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से।
- (ग) सी.पी.एस.ई. में बोर्ड स्तर से नीचे: संबंधित सी.पी.एस.ई. के माध्यम से।
- (घ) राज्य पी.एस.ई. के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / प्रबंध निदेशक / प्रकार्यात्मक निदेशक: राज्य सरकार के संबंधित प्रशासनिक सचिव और संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी, यदि कोई हो, के माध्यम से।
- (ङ) एस.पी.एस.ई. में बोर्ड स्तर से नीचे: संबंधित एस.पी.एस.ई. के माध्यम से।
- (च) निजी क्षेत्र: पी.ई.एस.बी. को सीधे।

2. निजी क्षेत्र के आवेदक को आवेदन प्रपत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से जमा करने होंगे:

- (क) जिस कैलेंडर वर्ष में पद विज्ञापित किया गया है, उसके पूर्ववर्ती 3 (तीन) वर्षों की कंपनी की वार्षिक रिपोर्टें जिसमें वर्तमान में कार्यरत हैं **(कृपया यू.आर.एल. प्रदान करें या प्रतियां संलग्न / अनुलग्न करें)**;
- (ख) कंपनी सूचीबद्ध है या नहीं; यदि हां, तो दस्तावेजी प्रमाण **(कृपया यू.आर.एल. प्रदान करें या प्रतियां संलग्न / अनुलग्न करें)**;
- (ग) बोर्ड स्तर पर या कम से कम बोर्ड स्तर के ठीक एक स्तर नीचे के पद पर कार्यरत रहने का साक्ष्य;
- (घ) आयु और अर्हताओं के समर्थन में दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियां;
- (ङ) पूर्व में संभाले गए संगत कार्य के विवरण।

## VI. आवेदक द्वारा वचनबंध

आवेदक को आवेदन के एक भाग के रूप में एक वचनबंध देना होगा कि यदि वह चयनित हो जाता / जाती है तो वह कार्यभार ग्रहण करेगा / करेगी। यदि कोई आवेदक ऐसा वचनबंध नहीं देता / देती है, तो उसके आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

### 1. केंद्र सरकार / संघ की सशस्त्र सेनाओं / अखिल भारतीय सेवाओं के अभ्यर्थियों के लिए

- (क) नियुक्ति तत्काल आमेलन के आधार पर है।
- (ख) यदि कोई अभ्यर्थी, साक्षात्कार आयोजित होने के बाद कार्यभार ग्रहण करने हेतु अपनी अनिच्छा व्यक्त करता / करती है तो उसे साक्षात्कार की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए किसी भी सी.पी.एस.ई. में बोर्ड स्तर के पद के लिए विचार किए जाने हेतु विवर्जित कर दिया जाएगा।
- (ग) इसके साथ ही, यदि कोई अभ्यर्थी, नियुक्ति का प्रस्ताव जारी होने के बाद कार्यभार ग्रहण करने हेतु अपनी अनिच्छा व्यक्त करता / करती है तो उसे नियुक्ति के प्रस्ताव की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए किसी भी सी.पी.एस.ई. में बोर्ड स्तर के पद के लिए विचार किए जाने हेतु विवर्जित कर दिया जाएगा।

### 2. सी.पी.एस.ई. के अभ्यर्थियों के लिए

- (क) यदि कोई अभ्यर्थी, साक्षात्कार आयोजित होने के बाद कार्यभार ग्रहण करने हेतु अपनी अनिच्छा

व्यक्त करता / करती है तो उसे अपने संबंधित सी.पी.एस.ई. को छोड़कर किसी भी सी.पी.एस.ई. में बोर्ड स्तर के पद के लिए विचार किए जाने हेतु साक्षात्कार की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए विवर्जित कर दिया जाएगा।

(ख) इसके साथ ही यदि कोई अभ्यर्थी, नियुक्ति का प्रस्ताव जारी होने के बाद कार्यभार ग्रहण करने हेतु अपनी अनिच्छा व्यक्त करता / करती है तो उसे अपने संबंधित सी.पी.एस.ई. को छोड़कर किसी भी सी.पी.एस.ई. में बोर्ड स्तर के पद के लिए विचार किए जाने हेतु नियुक्ति के प्रस्ताव की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए विवर्जित कर दिया जाएगा।

### 3. एस.पी.एस.ई. / निजी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए

(क) यदि कोई अभ्यर्थी, साक्षात्कार आयोजित होने के बाद कार्यभार ग्रहण करने हेतु अपनी अनिच्छा व्यक्त करता / करती है तो उसे साक्षात्कार की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए किसी भी सी.पी.एस.ई. में बोर्ड स्तर के पद के लिए विचार किए जाने हेतु विवर्जित कर दिया जाएगा।

(ख) इसके साथ ही यदि कोई अभ्यर्थी, नियुक्ति का प्रस्ताव जारी होने के बाद कार्यभार ग्रहण करने हेतु अपनी अनिच्छा व्यक्त करता / करती है तो उसे नियुक्ति का प्रस्ताव जारी होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए किसी भी सी.पी.एस.ई. में बोर्ड स्तर के पद के लिए विचार किए जाने हेतु विवर्जित कर दिया जाएगा।

4. उपर्युक्त मामलों में, छूट या अन्यथा के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

VII. आवेदक, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की वेबसाइट (<https://mohua.gov.in/>) से इसके पब्लिकेशन टैब में नोटिफिकेशन के अंतर्गत आवेदन प्रपत्र, संलग्नक और वचनबंध डाउनलोड कर सकते हैं।

**आवेदनों को निम्नलिखित पते पर भेजा जाए :**

**निदेशक (दिल्ली प्रभाग),**

**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय,**

**कक्ष सं. 211 – सी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली**

**ई-मेल : [rahul.kashyap71@gov.in](mailto:rahul.kashyap71@gov.in)**

**दूरभाष सं. : 011-23062387 मोबाइल : 9891105275**

पूर्ण और विधिवत रूप से आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को अग्रेषित आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि / समय **दिनांक 25 अगस्त, 2022 को 1500 बजे** तक है। निर्धारित समय / तिथि के बाद किसी भी परिस्थिति में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण आवेदन और निर्धारित समय / तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। खोज सह चयन समिति (एस.सी.एस.सी.) के पास साक्षात्कार के लिए आवेदकों को लघुसूचीबद्ध करने का अधिकार सुरक्षित है।



\*सी.पी.एस.ई. / मंत्रालय / एस.पी.एस.ई. / नियोक्ता द्वारा जारी किए गए विनिर्दिष्ट कार्यालय आदेश के अनुसार ही होना चाहिए  
\*\*निजी क्षेत्र – आहरित सी.टी.सी. / पारिश्रमिक / परिलब्धियां

ध्यान दें: नवीनतम कार्य विवरण के क्रम में पद का उल्लेख किया जाना चाहिए।

टिप्पणी : II. कृपया साक्षात्कार के समय संदर्भ के लिए, अपनी अभ्यर्थिता के समर्थन में, भाग क : करियर के दौरान प्राप्त की गई अब तक की उपलब्धियां और भाग ख : आवेदित पद के लिए विजन, प्रत्येक के लिए अधिकतम 2000 कैरेक्टरों का राइट-अप संलग्न करें। उपयोग किए गए संक्षिप्ताक्षरों का पूर्ण रूप, कैरेक्टरों की निर्धारित सीमा में दिया जाना चाहिए।

6. (क) क्या आप वर्तमान में काम कर रहे संगठन के अलावा किसी अन्य संगठन में ग्रहणाधिकार रखते हैं?

हाँ	नहीं
-----	------

यदि हां:

- उस संगठन का नाम जिसमें ग्रहणाधिकार धारित है :
- जिस तिथि से ग्रहणाधिकार धारण किया गया है:

(ख) क्या आप प्रतिनियुक्ति पर हैं?

हाँ	नहीं
-----	------

यदि हां :

- मूल संगठन का नाम:
- जिस तिथि से प्रतिनियुक्ति पर हैं:

7. (क) क्या पिछले 10 वर्षों के दौरान आवेदक को कोई शास्ति / दंड दिया गया है।

हाँ	नहीं
-----	------

यदि हां, तो उसका ब्यौरा

- दीवानी / आपराधिक
- विभागीय जांच

(ख) क्या आवेदक की जानकारी के अनुसार उसके खिलाफ कोई दीवानी या आपराधिक कार्रवाई या जांच चल रही है?

यदि हां, तो उसका ब्यौरा

- दीवानी / आपराधिक
- विभागीय पूछताछ

हाँ	नहीं
-----	------

मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा कॉलम 1 से 7 तक में दिए गए विवरण, जहां भी लागू हो, मेरी जानकारी और ज्ञान के अनुसार सही हैं। इसके अलावा, मैं यह भी प्रमाणित करता / करती हूँ कि मैं इस पद के लिए विज्ञापन में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता / करती हूँ।

(आवेदक का नाम और हस्ताक्षर)

**राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम**

8. वर्तमान में जिस कंपनी में कार्यरत है तथा जिस कैलेंडर वर्ष में पद विज्ञापित किया गया है उसके पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का वर्षवार लेखापरीक्षित वार्षिक टर्नओवर (अर्थात कैलेंडर वर्ष 2017 में विज्ञापित पद के लिए 2013-14, 2014-15 और 2015-16)।

कंपनी जिसमें अभ्यर्थी सेवारत है	वर्ष	कंपनी का वार्षिक टर्नओवर (करोड़ रु. में)

(i) कृपया कंपनी की वेबसाइट का यू.आर.एल. और कंपनी का सी.आई.एन. (निगमित पहचान संख्या) प्रदान करें

(क) यू.आर.एल. (कंपनी की वेबसाइट का पता) .....

(ख) सी.आई.एन. (निगमित पहचान संख्या) .....

**निजी क्षेत्र**

हाँ	नहीं
-----	------

9. वर्तमान में जिस **कंपनी में कार्यरत** हैं तथा जिस कैलेंडर वर्ष में पद विज्ञापित किया गया है उसके पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का वर्षवार लेखापरीक्षित वार्षिक टर्नओवर (ए.टी.ओ.) (अर्थात कैलेंडर वर्ष 2017 में विज्ञापित पद के लिए 2013-14, 2014-15 और 2015-16)।

जिस कंपनी में अभ्यर्थी वर्तमान में सेवारत है	वर्ष	कंपनी का वार्षिक टर्नओवर (करोड़ रु. में)*

\*यदि वार्षिक टर्नओवर (ए.टी.ओ.) विदेशी मुद्रा में है, तो पी.ई.एस.बी. वेबसाइट पर रिक्ति (विज्ञापन) अपलोड करने की तिथि के अनुसार विनिमय दर का उपयोग किया जा सकता है।

(i) कृपया कंपनी की वेबसाइट का यू.आर.एल. और कंपनी का सी.आई.एन. (निगमित पहचान संख्या) प्रदान करें

(क) यू.आर.एल. (कंपनी की वेबसाइट का पता) .....

(ख) सी.आई.एन. (निगमित पहचान संख्या) .....

(ii) मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि मैं

(क) बोर्ड स्तर के पद पर कार्यरत हूँ

हाँ	नहीं
-----	------

यदि हां: कृपया अपना डी.आई.एन. (निदेशक पहचान संख्या) प्रदान करें। \_\_\_\_\_

(ख) बोर्ड के ठीक एक स्तर नीचे के पद पर कार्यरत हूँ

हाँ	नहीं
-----	------

(iii) क्या जिस कंपनी में मैं कार्यरत हूँ वह स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है

स्टॉक एक्सचेंज \_\_\_\_\_

हाँ	नहीं
-----	------

सूचीबद्धता का प्रमाण जिसे एक्सेस किया जा सकता है \_\_\_\_\_ (कृपया यू.आर.एल. प्रदान करें)

(iv) आयु और शैक्षिक अर्हताओं के प्रमाण के लिए स्व-सत्यापित प्रतियां (अनुलग्न)

(v) कृपया दो (2) संदर्भों का विवरण दें। (नाम, पदनाम, मोबाइल, ईमेल-आईडी)

मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा कॉलम 1 से 8 तक में दिए गए विवरण, जहाँ भी लागू हो, मेरे जानकारी और ज्ञान के अनुसार सही हैं। इसके अलावा, मैं यह भी प्रमाणित करता / करती हूँ कि मैं इस पद के लिए विज्ञापन में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता / करती हूँ।

(आवेदक का नाम और हस्ताक्षर)

### **घोषणा**

मैं ..... पुत्र / पुत्री ..... एतद्वारा प्रमाणित करता / करती हूँ कि मुझे भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 या किसी अन्य संगत धाराओं के तहत निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

(आवेदक का नाम और हस्ताक्षर)

### **वचनबंध (जैसा लागू हो)**

केंद्र सरकार / संघ की सशस्त्र सेनाओं के अभ्यर्थियों के लिए

नियुक्ति तत्काल आमेलन के आधार पर है। चयनित हो जाने पर मैं एतद्वारा इस पद पर कार्यभार ग्रहण करने का वचन देता / देती हूँ। मैं समझता / समझती हूँ कि:

(क) यदि मैं साक्षात्कार आयोजित होने के बाद लेकिन नियुक्ति का प्रस्ताव जारी होने से पहले, कार्यभार ग्रहण करने हेतु अपनी अनिच्छा व्यक्त करता / करती हूँ तो मुझे साक्षात्कार की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए किसी भी सी.पी.एस.ई. में बोर्ड स्तर के पद के लिए विचार किए जाने हेतु विवर्जित कर दिया जाएगा।

(ख) इसके साथ ही, यदि मैं नियुक्ति का प्रस्ताव जारी होने के बाद कार्यभार ग्रहण करने हेतु अपनी अनिच्छा व्यक्त करता / करती हूँ तो मुझे नियुक्ति के प्रस्ताव की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए किसी भी सी.पी.एस.ई. में बोर्ड स्तर के पद के लिए विचार किए जाने हेतु विवर्जित कर दिया जाएगा।

दिनांक:  
हस्ताक्षर)

(आवेदक का नाम और

अखिल भारतीय सेवाओं के अभ्यर्थियों / केंद्र सेवाओं और सी.एस.एस. अधिकारियों के लिए

नियुक्ति प्रतिनियुक्ति के आधार पर है। चयनित हो जाने पर मैं एतद्वारा इस पद पर कार्यभार ग्रहण करने का वचन देता/देती हूँ। मैं समझता/समझती हूँ कि:

(क) यदि मैं साक्षात्कार आयोजित होने के बाद लेकिन नियुक्ति का प्रस्ताव जारी होने से पहले, कार्यभार ग्रहण करने के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त करता / करती हूँ तो मुझे किसी भी सी.पी.एस.ई. में बोर्ड स्तर के पद के लिए विचार किए जाने हेतु साक्षात्कार की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए विवर्जित कर दिया जाएगा।

(ख) इसके साथ ही, यदि मैं नियुक्ति का प्रस्ताव जारी होने के बाद कार्यभार ग्रहण करने के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त करता / करती हूँ तो मुझे किसी भी सी.पी.एस.ई. में बोर्ड स्तर के पद के लिए विचार किए जाने हेतु नियुक्ति के प्रस्ताव की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए विवर्जित कर दिया जाएगा।

(आवेदक का नाम और हस्ताक्षर)

सी.पी.एस.ई. के अभ्यर्थियों के लिए

चयनित हो जाने पर मैं एतद्वारा इस पद पर कार्यभार ग्रहण करने का वचन देता / देती हूँ। मैं समझता / समझती हूँ कि:

(क) यदि मैं साक्षात्कार आयोजित होने के बाद लेकिन नियुक्ति का प्रस्ताव जारी होने से पहले, कार्यभार ग्रहण करने के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त करता / करती हूँ तो मुझे अपने संबंधित सी.पी.एस.ई. को छोड़कर किसी भी सी.पी.एस.ई. में बोर्ड स्तर के पद के लिए विचार किए जाने हेतु साक्षात्कार की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए विवर्जित कर दिया जाएगा।

(ख) इसके साथ ही, यदि मैं नियुक्ति का प्रस्ताव जारी होने के बाद कार्यभार ग्रहण करने के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त करता / करती हूँ तो मुझे अपने संबंधित सी.पी.एस.ई. को छोड़कर किसी भी सी.पी.एस.ई. में बोर्ड स्तर के पद के लिए विचार किए जाने हेतु नियुक्ति के प्रस्ताव की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए विवर्जित कर दिया जाएगा।

दिनांक:  
हस्ताक्षर)

(आवेदक का नाम और

एस.पी.एस.ई. / निजी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए

चयनित हो जाने पर मैं एतद्वारा इस पद पर कार्यभार ग्रहण करने का वचन देता / देती हूँ। मैं समझता / समझती हूँ कि:

(क) यदि मैं साक्षात्कार आयोजित होने के बाद लेकिन नियुक्ति का प्रस्ताव जारी होने से पहले, कार्यभार ग्रहण करने के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त करता / करती हूँ तो मुझे साक्षात्कार की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए किसी भी सी.पी.एस.ई. में बोर्ड स्तर के पद के लिए विचार किए जाने हेतु विवर्जित कर दिया जाएगा।

(ख) इसके अलावा, यदि मैं नियुक्ति का प्रस्ताव जारी होने के बाद कार्यभार ग्रहण करने के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त करता / करती हूँ तो मुझे नियुक्ति के प्रस्ताव की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए किसी भी सी.पी.एस.ई. में बोर्ड स्तर के पद के लिए विचार किए जाने हेतु विवर्जित कर दिया जाएगा।

दिनांक:

(आवेदक का नाम और हस्ताक्षर)

सत्यापन

(सी.पी.एस.ई. / केंद्र सरकार / संघ की सशस्त्र सेनाओं / अखिल भारतीय सेवाओं / एस.पी.एस.ई.  
के लिए निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा भरा जाए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तुत किए गए उपर्युक्त विवरणों की जांच की गई है और उन्हे आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार सही पाया गया है।

सक्षम प्राधिकारी  
का हस्ताक्षर एवं पदनाम  
दूरभाष संख्या और ई-मेल पता

राइट-अप :

क: करियर के दौरान प्राप्त की गई अब तक की उपलब्धियां (2000 कैरेक्टरों में):

ख: आवेदित पद के लिए विजन (2000 कैरेक्टरों में):